classmate
Date
Page

DATE: 13/08/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER : III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH : 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 36 (THIRTY SIX)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति :

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति के अन्तर्गत आता है। यह भारतीय संविधान में 'भारत शासन अधिनियम, 1935' से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अनुसार निम्न लिखित परिस्थितियों में किया जाता है —

(i) यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है।

(ii) सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाये।

(iii) संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।

अध्यादेश का प्रभाव और शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परन्तु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती है।

राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से सम्बंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची से सम्बंधित विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है।

Next

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

अध्यादेश की अवधि :

अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसे संसद पारित कर दें, तो यह कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की दुबारा बैठक के छह सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है।

यदि संसद के दोनों सदन अनुमोदन के बजाय अस्वीकृत कर दें अर्थात् इसका निरनुमोदन कर दें तो यह निर्धारित छह सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा।

यदि संसद के दोनों सदनों - लोकसभा व राज्यसभा की बैठक अलग-अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो ये छह सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है।

किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि छह महीने तक हो सकती है यदि संसद की मंजूरी न मिलने पर छह सप्ताह की होती है।

राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है।

राष्ट्रपति के अध्यादेश सम्बंधी शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय :-

(i) R.C. कूपर मामले (1970) में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

(ii) डालाँकि 38 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के अनुसार, यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति

Next —

Scanned with CamScanner

की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रबंध को समाप्त कर दिया गया। अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है।

(iii) डी० सी० वाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बार-बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रयोग की आलोचना की तथा कहा कि यह विधानमण्डल की विधि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका के द्वारा हनन है। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु। यह माना गया कि अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता है।

(iv) कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

× —— × —— × —— × —— ×

सम्भावित प्रश्न:

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कीजिए एवं समय-समय पर इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की जानकारी दीजिए।

Scanned with CamScanner